



म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कर्पना लामटड (मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)



बलाक नं. 4, गाउंड फलोर, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर (म0प्र0) 482 008

दूरभाष : (0761) 2702200, फेक्स : (0761)2702140

ई-मेल : cetandc@gmail.com; वेब साईट : mptransco.nic.in

क्रमांक 04-04/उवेमा-92/ 1609


जबलपुर, दिनांक 28-07-2018

आदेश

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के आदेश क्रमांक 01-05/1/WC/143 एवं 145, दिनांक 19.07.90 एवं इस संबंध में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा जारी समस्त परिपत्रों/आदेशों/स्पष्टीकरणों जिन्हें म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0 के परिपत्र क्रमांक AS/MPPTCL/1735 दिनांक 25.08.2005 सहपठित आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/2929 दिनांक 10.10.2012 द्वारा ग्राह्य किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार, एवं चयन समिति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित कनिष्ठ अभियंता (टी एंड डी) को वर्तमान पद पर 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेने (प्रशिक्षण अवधि सहित) पर उनके द्वारा प्रस्तुत हितोप विकल्प नियम के अंतर्गत सहायक अभियंता के पद का उच्च वेतनमान का लाभ वेतन संवर्ग ओ-1, वेतन बैंड-3 में वेतनमान रुपये 15600 - 39100/- सादृश्य ग्रेड वेतन रुपये 5400/- तथा पुनरीक्षित सातवें वेतनमान में रुपये 56100 - 177500/- प्रतिमाह, का लाभ उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं थी एवं यह तिथि उनको प्रदत्त किसी भी विभागीय दण्डावधि की परिधि में नहीं आती है।

2. उच्च वेतनमान की स्वीकृति का लाभ आगामी पद पर पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है।

क्रं.	नाम एवं कर्मचारी क्रं. सर्वश्री	कार्यालय का नाम	उच्चवेतनमान स्वीकृति तिथि
1	श्री सिद्धार्थ जोशी (85423091)	कार्या. अभियंता (परीक्षण) संभाग दो इन्दौर	23.11.2017
2	श्री सत्यपाल सिंह तोमर (89321706)	कार्या. अभियंता (400के.वही) उपकेन्द्र (परीक्षण) संभाग भोपाल	13.10.2017
3	श्री राकेश कुमार सोनी (89320013)	कार्या. अभियंता (परीक्षण) संभाग एक भोपाल	16.10.2017
4	श्री अरुण कुमार पाण्डे (90443001)	कार्या. अभियंता (परीक्षण) संभाग एक जबलपुर	05.07.20018


मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)
म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0, जबलपुर

क्रमश-2


प्रतिलिपि :

1. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.) म.प्र.पा.टॉ.कं.लि.,जबलपुर।
 2. मुख्य अभियंता(ट्रांस) पूर्व क्षेत्र म.प्र.पा.टॉ.कं.लि.,जबलपुर।
 3. मुख्य वित्तीय अधिकारी म.प्र.पा.टॉ.कं.लि.,जबलपुर।
 4. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/(400के.व्ही उपकेन्द्र)वृत्त म.प्र.पा.टॉ.कं.लि. इंदौर/भोपाल/ जबलपुर।
 5. कार्यपालन अभियंता (400 के.व्ही उपकेन्द्र)(परीक्षण)संभाग-एक म.प्र.पा.टॉ.कं.लि. इंदौर/ भोपाल/जबलपुर।
 6. कार्यपालन यंत्री (बेवमास्टर) कार्यालय मुख्य अभियंता(प्रोक्योरमेंट) म.प्र.पा.टॉ.कं.लि. जबलपुर।
 7. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी,म0प्र0पां0मे0कं0लि0 जबलपुर।
 8. क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पा.टॉ.कं.लि इंदौर/भोपाल/जबलपुर।
 9. निज सचिव कार्यालय प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.टॉ.कं.लि., जबलपुर।
 10. श्रीकनिष्ठ अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/(400 के.व्ही उपकेन्द्र) वृत्त, संभाग म.प्र.पा.टॉ.कं.लि. इंदौर/भोपाल/जबलपुर।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अ. पदोन्नति का अवसर प्राप्त होने पर, पदोन्नति अस्वीकार करने/निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में पूर्ववर्ती म0प्र0राज्य विद्युत् मंडल के परिपत्र क्रमांक 143 एवं 145 दिनांक 19-07-1990 के प्रावधानों के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ वापस ले लिया जावेगा।

ब. उक्त कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी से अनुरोध है कि वे आदेश अग्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि उच्च वेतनमान की स्वीकृति की तिथि पर कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं थी एवं वे दण्डावधि में नहीं थे। इसके साथ ही उपरोक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से यह भी जांच कर लेवें कि संबंधित कर्मचारी ने द्वितीय विकल्प नियम के तहत उच्च वेतनमान स्वीकृति की तिथि में वर्तमान पद पर गणना योग्य वांछित 09 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यालयीन प्रक्रिया से संबंधित कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। अन्यथा स्थिति में आदेश आवश्यक टीप के साथ इस कार्यालय को अविलंब लौटाना सुनिश्चित करें।

स. उक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानान्तरित होने की स्थिति में इस आदेश को इस कार्यालय को वापिस न कर, कर्मचारी के वर्तमान कार्यालय में प्रेषित करने हेतु भेजा जावे।


अधीक्षण अभियंता

कार्यालय मुख्य अभियंता(परी0एवं संचार)
म0प्र0पां0टा0कं0लि0, जबलपुर

